

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठारीन अधिकारी: नित्या कौं, आई.ए.एस.)

प्रकरण सं० 329/2016

उनवान

बालूराम वगैरह बनाम भैरूलाल वगैरह

उपरिथत- श्रीमती कुरुगु गुप्ता, प्रदीपरावसेना, शेख अब्दुल्ला  
श्री मनीष कुमार शर्मा, सुनील कुमार शर्मा, राजनलाल सैनी

- अभिभाषक प्रार्थीगण  
- अभिभाषक प्रतिपक्षीगण

## आदेश

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 व सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

दिनांक 24/1/2021



अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने दौराने दावा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 व सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने विवादित भूमि की घोषणा का वाद पेश किया है इसमें विक्रयपत्र दिनांक 11.02.1950 को आधार मानकर विक्रयपत्र में वर्णित खसरा नम्बरान में आपना हिस्सा 1/2 गानते हुए केस पेश किया है ओर उसी आधार पर विवादित भूमि में अपना 1/2 हिस्सा लेना चाहता है। प्रथम दृष्टया तो उक्त विक्रयपत्र दिनांक 11.02.1950 को हुआ ही नहीं है विक्रय पत्र दिनांक 22.06.1949 में हुआ था जिसमें वादीगण के पूर्वज कल्याण का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है, लेकिन स्व. कल्याण ने अपने हिस्से की कृषि भूमि को घासीजी के साथ मिलकर खसरा नम्बर साविक 726, 728, 729, 730, 731, 732, 733 कुल रकवा 43 बीघा 6 विस्वा को भैरूलाल सैनी को उसकी प्रतिफल राशि लेकर दिनांक 30.01.1971 को वेचान कर दी थी तथा मौके पर कब्जा क्रेता को संभला दिया था, जिसका नामांतरण संख्या-529 दिनांक 29.04.1971 को स्वीकार हो गया, जिसके हाल खसरा नम्बर 782 है, इसी प्रकार स्व. कल्याण ने घासी के साथ मिलकर खसरा नम्बर साविक 734, 735, 736 रकवा 27 बीघा 19 विस्वा को श्रीमती कलावती पत्नि श्रीलाल माली के हक में प्रतिफल राशि लेकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.01.1971 को वेचान कर दी थी जिसका नामांतरण संख्या-258 दिनांक 29.04.1971 को स्वीकार हो गया था, जिसके हाल नम्बर 786 है। शेष बची हुई साविक खसरा नम्बर 708, 709, 710, 711, 712, 718, 719, 720, 721, 722, 727 जिसके हाल खसरा नम्बर 773, 779, 783, 784, 785, 786/841, 787, 788 कुल रकवा 60 बीघा 10 विस्वा बने जो कल्याण के मरने के बाद 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम आया, जिसको वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 21.07.2015 को लिखवाकर दिनांक 22.07.2015 को प्रतिवादी संख्या-5 ता 19 के नाम रजिस्टर्ड करवा दिया, जिसका नामांतरण दिनांक 25.07.2015 को खुल गया। इस प्रकार वादीगण के नाम खाते में एक भी विस्वा जमीन अपने पूर्वजों की शेष नहीं बची है, वादीगण ने उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को केन्सिल नहीं करवाया है ओर नामांतरणों को भी निरस्त करने हेतु अपील नहीं की है, इस कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है ओर इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वादपत्र इसी स्टेज पर नामांजूर किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को सावित करने के लिए प्रार्थी ने दस्तावेजात यथा-'मिलान क्षेत्रफल, हॉल जमावन्दीयां, खसरा गिरदावरी संवत 2009-12, जमावन्दी संवत-2017, 2031, विक्रय पत्र दिनांक 30.01.1971, 21.07.2015 आदि पेश की है।

वादी ने जरिये वकील जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा संख्या 726, 728, 729, 730, 731, 732, 733 कुल रकवा 43 बीघा 6 विस्वा जिसके हॉल खसरा नम्बर 782 है ओर खसरा नम्बर 734, 735, 736 जिसके हॉल खसरा नम्बर 736 ओर रकवा 27 बीघा 19 विस्वा है वादीगण के पिता स्व. कल्याण द्वारा अपने 1/2 हिस्से का वेचान घासी

उपखण्ड अधिकारी  
टोंक (राज.)

के साथ मिलकर दिनांक 30.01.1971 को नहीं किया गया। ऐसा कथित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र एक ही दिनांक को पिता द्वारा घांसी के साथ मिलकर अपने ही पुत्र भैरूलाल और पुत्री कलावती के हक में कराया जाना ही संदेहास्पद है। उक्त फर्जी एवं बनावटी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही शून्य एवं वादीगण के हितों पर प्रभावहीन है। इसी कारण प्रतिवादी द्वारा अपनी दरखास्त के साथ असल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं किया। वादीगण अपनी साक्ष्य में गलत रूप से कराये गये उक्त रजि. विक्रयपत्र को फर्जी, बनावटी एवं वादीगण के हितों पर प्रभावहीन होना अपनी साक्ष्य में बखूबी सिद्ध करेंगे। प्रतिवादी की दरखास्त गलत निराधार एवं खिलाफे कानून है जो चलने योग्य नहीं है। आर्डर 7 रूल 11 की दरखास्त का निस्तारण करते समय माननीय न्यायालय को केवल वादपत्र पर ही ध्यान देना होता है। प्रतिवादी के जवाब व उसके द्वारा प्रस्तुत कथित दस्तावेज का नहीं। उक्त वाद में प्रतिवादी अप्रार्थीगण द्वारा अपना जवाब दावा पेश न करके सीधे ही गलत रूप से यह दरखास्त पेश की गयी है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी प्रार्थी द्वारा केवल वाद में विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से ही उक्त दरखास्त पेश की है। जवाब दरखास्त पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की दरखास्त खर्च सहित खारिज फरमायी जावे।

विद्वान वकील उभय पक्ष की प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी गई। बहस के दौरान दोनो पक्षों ने अपने अपने तथ्यों को दोहराया। हमने प्रार्थनापत्रों पर वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजों का अध्ययन किया। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में उद्घोषणा खातेदारी, दुरुरती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का मुख्य कथन यह है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में वादीगण के नाम से नहीं है इस कारण से उनका वाद खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये विक्रयपत्र एवं खसरा गिरदावरी तथा वर्तमान जमाबन्दी के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि वादग्रस्त भूमि घांसी व कल्याण की संयुक्त खातेदारी भूमि थी, जिसमें से 42 बीघा भूमि भैरु के नाम एवं 27 बीघा भूमि कलावती के नाम विक्रय कर दिया शेष 60 बीघा 10 बिस्वा में से 30 बीघा 5 बिस्वा घांसी के वारिस भैरु आदि एवं 30 बीघा 5 बिस्वा के कल्याण के वारिस बालूराम वगेराह रहे। कल्याण के वारिस बालूराम वगेराह ने उक्त भूमि 15 आदमियों को विक्रय कर दी है। वादीगण बालूराम वगेराह के पास वर्तमान में कोई भूमि नहीं बची है। वादीगण/अप्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में उल्लेखित बिन्दुओं के पक्ष में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है। वादग्रस्त भूमि के तकासमें के संबंध में न्यायालय हाजा में ही विचाराधीन एक अन्य प्रकरण भैरूलाल बनाम बालूराम में राजीनामा से तकासमा किये जाने का राजीनामा न्यायालय में पेश किया जो स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादी के वाद को आगे चलाया जाना उचित प्रतित नहीं होता है।

### आदेश

फलतः प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने दौराने दावा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 व सपटित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद बाबत उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक .....२५/०२/२०११ को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(नित्या के०)  
आई.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी, टोंक